

अध्याय – 3

वाणिज्यिक कर

अध्याय—3

वाणिज्यिक कर



3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्यतः इसे समस्त नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायक होती है कि समस्त निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रीति से सुचारू रूप से कार्यरत हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा (अगस्त 2016 में) सूचित किया गया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा अस्तित्व में नहीं थी। यह विषय पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अभी भी विभाग में स्थापित नहीं की गई है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वाणिज्यिक कर विभाग की 114 इकाईयों¹ जिनमें वर्ष 2015–16 की कुल राजस्व ₹ 19,883.30 करोड़ की राशि अन्तर्निहित थी, की नमूना जांच की एवं 1,072 प्रकरणों में ₹ 290.02 करोड़ के कर का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं पाई जिन्हें तालिका 3.1 में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)


क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन	1	23.49
2	प्रवेशकर की वसूली नहीं किया जाना/कम वसूली	197	21.99
3	त्रुटिपूर्ण दर से कर निरूपण किया जाना	191	50.11

¹

32 संभागीय कार्यालय, 18 क्षेत्रिय कार्यालय, 64 वृत्त कार्यालय

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
4	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	176	47.97
5	अमान्य छूट/कटौती का स्वीकार्य किया जाना	181	63.42
6	अन्य अनियमिततायें	326	83.04
योग		1,072	290.02

चार्ट 3.1
लेखापरीक्षा परिणाम (1,072 प्रकरणों में ₹ 290.02 करोड़ की अंतर्निहित है)



उपरोक्त सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को माह मई 2015 से जुलाई 2016 के दौरान विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था। विभाग/लेखापरीक्षा द्वारा 236 प्रकरणों में, जो वर्ष 2015–16 के दौरान इंगित किये गये थे राशि ₹ 145.42 करोड़ के कम निर्धारण व अन्य अनियमितताओं को मान्य किया गया और सूचित किया गया कि 45 प्रकरणों में राशि ₹ 30.46 लाख की वसूली की जा चुकी है।

‘मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन’ विषय पर लेखापरीक्षा के दौरान पाई आपत्तियाँ जिसमें राशि ₹ 23.49 करोड़ अंतर्निहित थी तथा कुछ अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जिसमें राशि ₹ 84.06 करोड़ अंतर्निहित थी की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:—

3.3 मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन

3.3.1 प्रस्तावना

मूल्य संवर्धित कर (वैट), प्रवेशकर, केन्द्रीय विक्रय कर, विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर का आरोपण एवं संग्रहण, स्व-करनिर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। कर निर्धारण प्रणाली का समग्र उद्देश्य व्यवसाइयों के स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को उच्चतम सीमा तक लाकर व कर अपवंचन/चोरी को हतोत्साहित कर अधिकतम कर संग्रहण करना है। स्वयं व्यवसायी अपने कर दायित्व की गणना कर, देय कर का भुगतान करता है, जबकि वाणिज्यिक कर विभाग बाद में करनिर्धारण के माध्यम से स्व-करनिर्धारण की समीक्षा करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी रूप से देय कर, करदाताओं द्वारा घोषित एवं भुगतान किया गया था।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के नियम (ग) से (च) में निर्दिष्ट किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अथवा धारा 57 की उपधारा (14) के अन्तर्गत किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है तो वह इस आदेश के विरुद्ध निर्धारित विधि से, अपीलीय प्राधिकारी के पास (प्रथम अपील) अपील कर सकता है। पुनः, यदि वह प्रथम अपील आदेश से असंतुष्ट है तो वह इस अपील आदेश के विरुद्ध निर्धारित विधि से अपीलीय मण्डल को (द्वितीय अपील) कर सकता है। प्रत्येक अपील, उस संबंधित अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसके सूचित करने के निर्धारित समय के भीतर, दायर की जा सकती है।

संभागीय उपायुक्त द्वारा पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त आयुक्त, अपीलय अधिकारी हों, के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। अन्य प्रकरणों में (उपायुक्त श्रेणी तक के प्राधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों), संबंधित क्षेत्र के अपीलीय उपायुक्त के समक्ष प्रथम अपील दायर की जा सकती है। धारा 47 (1) के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश (पुनरीक्षण कर निर्धारण) के विरुद्ध धारा 46 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

“मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976” जो सामान्यतः प्रवेशकर (ई.टी.) अधिनियम, 1976 के रूप में जाना जाता है की धारा 13 के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों और नियमों/आदेशों/अधिसूचनाओं जो निर्धारण आदेशों, अपील, शास्ति आदि के संबंध में जारी किये हैं प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। आगे, केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी) अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) एवं विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011, की धारा 8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के निर्धारण, अपील, ब्याज, शास्ति आदि के प्रावधान भी सी.एस.टी. अधिनियम और विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर के संबंध में पंजीकृत व्यापारियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।


3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

करारोपण प्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के सर्वोच्च स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है। अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित कार्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा दर्शाने वाला चार्ट निम्नानुसार है:

चार्ट 3.2: संगठन ढाँचा दर्शाने वाला चार्ट



अपीलीय प्राधिकारी

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 3 (ए) के अनुसार राज्य शासन ऐसे अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर उपायुक्त स्तर से कम के न हो, को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के आदेश दे सकती है। राज्य शासन द्वारा सत्रह² अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अपीलीय मण्डल

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य शासन अपीलीय मण्डल का गठन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। अपीलीय मण्डल में एक अध्यक्ष एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित संख्या में न्यायिक तथा लेखा सदस्य होंगे। यह अपीलीय मण्डल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत न्यायिक निकाय एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 के अन्तर्गत दीवानी अदालत का दर्जा प्राप्त करेगा।

² अतिरिक्त आयुक्त भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर परिक्षेत्र-1, इन्दौर परिक्षेत्र-2 और जबलपुर, उपायुक्त भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, इन्दौर-एक, इन्दौर-दो, इन्दौर-तीन, जबलपुर, खण्डवा, रत्नाम, सांगर, सतना और उज्जैन

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इन तथ्यों की जांच करना था कि—

- क्या अपील दाखिल करने एवं स्वीकार करने के संबंध में निर्धारित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन किया गया था,
- अपील प्रकरणों के निराकरण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार किए गए थे और
- अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों में अपील प्रकरणों में राजस्व हित के रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।

3.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निम्न लिखित मापदण्डों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित की गई—

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46
- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002, ई.टी. (प्रवेश कर) अधिनियम, 1976, सी.एस.टी. (केन्द्रीय विक्रय कर) अधिनियम, 1956 और (विलासिता मनोरंजन आमोद एवं विज्ञापन कर) एल.ई.ए.टी. अधिनियम, 2011,
- मध्यप्रदेश राज्य शासन के नियमों, निर्देशों, परिपत्रों/छूट के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं तथा अपीलीय मण्डल और न्यायालयों के निर्णय।

3.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

सत्रह अपीलीय कार्यालयों में से नौ³ कार्यालयों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के आधार पर किया जाकर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त, अपील/अतिरिक्त आयुक्त, अपील) द्वारा माह अप्रैल 2011 और 31 मार्च 2016 के मध्य पारित अपील आदेशों की जांच के लिये लेखापरीक्षा (माह जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य) की गई। लेखापरीक्षा में अपीलीय मण्डल के अभिलेख से यह जांच भी की गई कि अपील मण्डल द्वारा क्या अपील दाखिल करने एवं स्वीकार करने के संबंध में निर्धारित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन किया गया था।

नमूना जांच के लिये चयनित इकाईयों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2011–12 और 2015–16 के मध्य कुल 19,821 अपील प्रकरणों का निराकरण किया गया था। इसमें से 10,108 प्रकरणों (लगभग 50 प्रतिशत) की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई और 6,237 प्रकरणों जिनमें ₹ 434.51 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण अंतर्निहित थे इंगित किये गये।

• अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा करने के लिये सहयोग तथा आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदाय करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग का आभारी है। दिनांक 7 अप्रैल 2016 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों को राज्य शासन एवं विभाग को जून 2016 में अग्रेषित किया गया था और विभाग के प्रमुख सचिव के साथ दिनांक 3 सितम्बर 2016 को निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं के साथ सम्मिलित किया गया। सरकार/विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की सभी अनुसंशाओं को स्वीकार किया गया।

³ अतिरिक्त आयुक्त इन्दौर परिक्षेत्र—दो, जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर—दो, इन्दौर—तीन, जबलपुर, सागर और सतना

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें जो इस अध्याय में शामिल की गई हैं उन पर भी निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि इन कंडिकाओं का विस्तृत उत्तर निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा को भेज दिया जायेगा। यद्यपि विभाग के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अक्टूबर 2016)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.3.6 अपील प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

3.3.6.1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी


प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान अपील में निराकृत प्रकरणों की स्थिति तालिका 3.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.2
प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निराकृत अपील प्रकरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान संस्थापित प्रकरणों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरणों की संख्या
2011–12	5494	8131	13625	8548	5077
2012–13	5077	7031	12108	7377	4731
2013–14	4731	6341	11072	6497	4575
2014–15	4575	9119	13694	7716	5978
2015–16	5978	8809	14787	8460	6327
योग				38598	

(झोत : वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

चार्ट 3.3



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लंबित अपील प्रकरणों की संख्या पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही है। विभाग के लिये आवश्यक है कि नियमित रूप से लंबित प्रकरणों को कम करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करे।

3.3.6.2 अपीलीय मण्डल (द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी)

वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान 3,291 अपील प्रकरण दाखिल किये गये जबकि 1,956 प्रकरण वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ से ही लंबित थे। केवल 2,106 अपील प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान किया गया। इस प्रकार 3,141 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर निराकृत किये जाने के लिये लंबित थे।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 (8) के अनुसार अपीलीय मण्डल प्रत्येक अपील को अपील दाखिल किये जाने के दिनांक से दो कैलेण्डर वर्षों के अन्दर निराकृत करेगा। लंबित प्रकरणों के वर्षवार विवरण एवं उससे संबंधित राशि की जानकारी अपीलीय मण्डल तथा विभाग द्वारा संधारित नहीं की गई थी। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निराकृत प्रकरणों की स्थिति तालिका 3.3 में दर्शाई गई है।


तालिका 3.3
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निराकृत अपील प्रकरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान संस्थापित अपील प्रकरणों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या
2011–12	1956	1108	3064	489	2575
2012–13	2575	1156	3731	389	3342
2013–14	3342	1027	4369	448	3921
2014–15	3921	1076	4997	486	4511
2015–16	4511	1319	5830	294	5536
योग				2106	

(स्रोत: अपीलीय मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

चार्ट 3.4

वर्ष के अन्त में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में 1,956 अपील प्रकरण द्वितीय अपील में लंबित थे जो वर्ष 2015-16 के अन्त में बढ़कर 5,536 अपील प्रकरण हो गए। इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई। अपीलीय मण्डल द्वारा लंबित प्रकरणों के समय पर निराकृत नहीं किये जाने के कारण अवगत नहीं कराये गये।

यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में 1,956 अपील प्रकरण द्वितीय अपील में लंबित थे और वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 3,291 अपील प्रकरण दाखिल किये गये। निराकरण के लिये दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित है, इसलिये, कुल 5,247 अपील प्रकरणों का वर्ष 2015-16 तक निराकरण अवश्य किया जाना चाहिये था, यद्यपि, केवल 2,106 अपील प्रकरणों का निराकरण पांच वर्षों के दौरान किया गया था। निराकरण की इस गति से शेष 3,141 प्रकरणों के निराकरण में आठ वर्ष लगेंगे। इसका प्रभाव कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के साथ-साथ निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील करने वाले व्यापारियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अपीलीय मण्डल द्वारा उत्तर (जून 2016) में बताया गया कि मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46(8)(ब) में अपील प्रकरणों के निराकरण के लिये समय सीमा बढ़ाने के लिये संशोधन प्रस्ताव शासन स्तर पर विचारार्थ लंबित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि इस मामले को अपीलीय मण्डल के समक्ष लाया जायेगा।

हम अनुशांसा करते हैं कि अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समय सीमा (जैसा की अधिनियम में प्रावधानित है) का विभिन्न स्तरों पर दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिये जिससे विभाग का राजस्व हित सुरक्षित रहे, असंतुष्ट व्यापारियों की शिकायतों का निराकरण भी समय पर किया जा सके।

3.3.7 अपीलों का निराकरण

3.3.7.1 कर घटाने के संबंध में अपील आदेशों को पारित करने के पूर्व कर निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत प्राप्त नहीं किया जाना

कुल 6,229 प्रकरणों में, जिसमें कर राशि ₹ 434.17 करोड़ सम्मिलित थी, करदाता के पक्ष में आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत नहीं लिया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46(8) के प्रावधानानुसार, यदि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है एक पक्षीय नहीं है तो अपीलीय प्राधिकारी ऐसे आदेश के विरुद्ध, पुष्टि, कमी, वृद्धि या निर्धारण को समाप्त या कर अथवा ब्याज का पुर्णनिर्धारण या शास्ति का निरूपण या दोनों या जैसा उचित पाया जाये वैसा आदेश पारित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील के निराकरण के पूर्व जैसा वह उचित समक्षे संबंधित निर्धारण प्राधिकारी से पूछताछ कर सकता है। पुनः आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 60 दिनांक 20 जनवरी 2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर निर्धारण प्राधिकारी का लिखित अभिमत लिया जाना अनिवार्य है।

हमने नौ अपील कार्यालयों⁴ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 6,229 प्रकरणों जिसमें कर ₹ 434.17 करोड़ निहित था, जो अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के मध्य निराकृत किये गये थे, संबंधित निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष जाने बिना अपील आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में पारित किये गये थे। निर्धारण प्राधिकारियों का लिखित पक्ष लेने के लिये दिनांक 20 जनवरी 2014 के आयुक्त के निर्देश के बाद भी 1,829 प्रकरण जिसमें ₹ 138.57 करोड़ के कर की राहत प्रदान की थी, निर्धारण प्राधिकारियों का पक्ष अपीलीय प्राधिकारियों ने नहीं प्राप्त किया। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

⁴

अतिरिक्त आयुक्त परिषेत्र-दो इन्दौर और जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर-दो, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

तालिका 3.4

उदाहरणार्थ ऐसे प्रकरण जिसमें निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष प्राप्त नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम / प्रकरण की संख्या	कर राहत की राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	उत्तर और हमारी टिप्पणियाँ
1	उपायुक्त अपील, सतना/01	9.38	<p>चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता पर कर निरूपित किया गया तथा शास्ति आरोपित की गई क्योंकि जांच में यह पाया गया कि परिवहनकर्ता प्लाण्ट एवं मशीनों की डुलाई बिना प्रपत्र-49 के कर रहा था।</p> <p>अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश में सिविल निर्माण ठेके के लिये प्लाण्ट एवं मशीनों का परिवहन कर रहा था, वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त प्लाण्ट एवं मशीनों को वापस ले जायेगा। इसलिये प्रपत्र-49 आवश्यक नहीं था।</p> <p>अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा बिना किसी विस्तृत व्याख्या के और निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष लिये बिना ही राहत स्वीकार की। चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता पर सही रूप से शास्ति आरोपित की गयी थी क्योंकि प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि अधिसूचित सामग्री की डुलाई के संबंध में सभी उद्देश्यों के लिये प्रपत्र-49 होना अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त जिस व्यापारी की सामग्री का परिवहन किया जा रहा था उसका पंजीयन दिनांक मई 30 2014 से निरस्त था। इसलिये, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी का शास्ति आदेश सही था।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि व्यापारी ने मशीनों का आयात केवल ठेके कार्य में उपयोग के लिये किया था मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) के "स्पष्टीकरण खण्ड" के अनुसार उसकी मंशा कर अपवंचन की नहीं थी।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मशीनें अधिसूचित सामग्री हैं और किसी भी उद्देश्य के लिये सभी अधिसूचित सामग्री के परिवहन के लिये प्रपत्र-49 अनिवार्य है। प्रपत्र-49 के अभाव में यह संभावना है कि आयातित सामग्री को क्रय लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाये, चूंकि यह क्रय विभाग के पूर्व संज्ञान में नहीं थे। इसलिये व्यापारी के कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता है।</p>
2	उपायुक्त अपील, इन्दौर-तीन/01	7.02	<p>निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी के लेखा पुस्तकों एवं वैट विवरणी के आधार पर विक्रय निर्धारित किया तथा वैट और व्याज निरूपित किया।</p> <p>अपीलीय प्राधिकारी ने व्यवहार को शाखा अन्तरण मानते हुये राहत स्वीकार की। निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष जाने बिना अपील आदेश पारित किया गया। यह प्रावधानानुसार नहीं था क्योंकि व्यापारी ने इस शाखा अन्तरण विक्रय पर कर संग्रहित किया तथा विक्रय अंकेक्षित लेखे के अनुसार सत्यापित थी।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।</p>

अपील की प्रक्रिया अपीलकर्ता के पक्ष में पूर्वाग्रह पर आधारित है क्योंकि मूल निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष सुनने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। पुनः विभाग ने किसी भी ऐसे प्रकरणों को जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है,

द्वितीय अपील के लिये अधिमान्य नहीं किया है जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में इंगित किया गया है।

निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष पर विचार किये बिना अपील आदेशों के पारित करने का परिणाम यह हो सकता है कि प्रकरणों के सभी तथ्यों का अपर्याप्त विवेचना करने से विभाग को, कर, शास्ति और ब्याज के रूप में राजस्व से वंचित होने की संभावना थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन ने स्वीकार किया और यह बताया गया कि इस संबंध में जारी पुराने परिपत्र की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो नया परिपत्र जारी किया जायेगा जिसमें अपीलीय प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाएगा कि निर्धारण प्राधिकारी के पक्षों को निश्चित रूप से प्राप्त करें। विभाग ने परिपत्र क्रमांक 60 दिनांक 20 जनवरी 2014 का अनुसरण करने और अपील आदेश पारित करने के पूर्व निर्धारण प्राधिकारियों का लिखित पक्ष प्राप्त करने के लिये अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित किया (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि संहिता के प्रावधानों में संशोधन किए जायें जिनसे अपील प्रकरणों में निष्पक्ष कार्यवाही के लिये निर्धारण प्राधिकारी को उनके पक्ष शामिल करने के लिये एक अवसर प्रदान करने का स्पष्ट प्रावधान सम्मिलित हो सके एवं अपील प्रकरणों का समाधान करने की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके।

3.3.7.2 अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा घोषणा पत्रों को यांत्रिक रूप से स्वीकार किया जाना

दो सौ छप्पन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया और राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ताओं को दी, यद्यपि निर्धारण और अपील नस्ती में घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं पाए गए थे।

केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीयन तथा टर्नओवर), 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र—ग या प्रपत्र—च घोषणा पत्र के रूप में या प्रपत्र—ई एक या प्रपत्र—ई दो प्रमाण पत्र के रूप में विहित प्राधिकारी को उस अवधि की अंतिम तिथी से, जिससे घोषणा या प्रमाण पत्र संबंधित है, तीन माहों के अन्दर प्रस्तुत करेगा। पुनः यह प्रावधान किया गया है कि यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि घोषणा या प्रमाण पत्र को संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त समय में प्रस्तुत करने से रोकने के लिये पर्याप्त कारण है तो विहित प्राधिकारी द्वारा संबंधित घोषणा या प्रमाण पत्र को उस बढ़ाए हुए समय के अन्दर, जो विहित प्राधिकारी को उपयुक्त लगे, प्रस्तुत किया जा सकता है। आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश, के परिपत्र दिनांक 20.09.2011 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी घोषणा या प्रमाणपत्र को यांत्रिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपील आदेश पारित करने के पूर्व जांच करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को घोषणा या प्रमाण पत्र उपरोक्त समय के अन्दर प्रस्तुत करने से रोकने के लिये पर्याप्त कारण थे।

घोषणा पत्र के विलम्ब से प्रस्तुत करने की क्रिया, अपवंचन एवं बच निकलने के जोखिम से भरपूर है। साथ ही दोष/अनियमिततायें/फार्मों की अपूर्णता/जाली प्रपत्रों का समय पर पता नहीं लगाया जा सकता।

हमने नौ अपील कार्यालयों⁵ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 1,053 प्रकरणों में से 256 प्रकरण जो अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के मध्य निराकृत किये गये

⁵ अरितकत आयुक्त परिषेत्र—दो इन्दौर और जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर—दो, इन्दौर—तीन, जबलपुर, सागर और सतना

थे, अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणा तथा प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया और कर राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की। विलम्ब से प्रस्तुत किये गये ऐसे घोषणाओं तथा प्रमाणपत्रों को, जो अन्तिम निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये थे, के संबंध में समय बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारण आदेश तथा अपील नस्ती में नहीं पाये गये। यह संकेत देता है कि इन प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों को घोषणा या प्रमाण पत्र को निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत करने से रोकने वाले कारणों की वास्तविकता को सुनिश्चित किये बिना उपरोक्त आदेश पारित किये गये। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

अपीलीय प्राधिकारियों ने समयवृद्धि के प्रार्थना के बिना कर में राहत प्रदान की

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	इकाई का विवरण / प्रकरणों की संख्या	प्रदान किया गया कर राहत	अपीलीय प्राधिकारियों का उत्तर	लेखापरीक्षा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर परिक्षेत्र / 22	7.66	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (अप्रैल 16) में बताया कि घोषणाएँ जो नियम के अनुसार एवं वैधानिक थीं सत्यापन के पश्चात् स्वीकार की गई थीं।	उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने यह सत्यापितनहीं किया कि क्या अपीलकर्ता ने घोषणा पत्रों को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के लिये समय वृद्धि हेतु आवेदन किया था।
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील इन्दौर तीन / 60	4.35	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 16) में बताया कि व्यापारी सभी केन्द्रीय प्रपत्र—ग, च, ज क्रेता व्यापारी से प्राप्त करते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होता है। इसलिये विलम्ब न्यायसंगत है। यह प्रक्रियात्मक मुद्दा है और इसका राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि विलम्ब से प्रस्तुत किये गये ऐसे घोषणाओं तथा प्रमाणपत्रों को, जो अन्तिम निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये थे, के संबंध में समय बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र निर्धारण आदेश तथा अपील नस्ती में नहीं पाये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन ने स्वीकार किया और यह बताया गया कि इस मुद्दे के संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। बाद में विभाग ने अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित (अक्टूबर 2016) किया कि विलम्ब से प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के संबंध में अपीलकर्ता से विलम्ब के कारणों को लिखित अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे और अपील आदेशों में विलम्ब के कारणों को दर्ज करेंगे।

3.3.7.3 मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 की शास्ति को त्रुटिपूर्ण रीति से माफ किया जाना

अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 12 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों में राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति त्रुटिपूर्ण रीति से माफ किया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 57(2) के अनुसार वाहन चालक या वाहन के मालिक या सामग्री का ढुलाई करने वाला परिवहन के दौरान— (क) सामग्री के प्रेषक या प्रेषितीय द्वारा जारी किया गया एक बीजक, देयक या चालान या अन्य प्रपत्र और निर्धारित घोषणा प्रपत्र अपने साथ अवश्य लेकर चलेगा और (ख) राज्य की सीमा में प्रवेश करने और छोड़ने पर प्रत्येक जांच चौकी पर वाहन को रोकेगा और यदि परिवहनकर्ता अपने साथ परिवहित सामग्री से संबंधित इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम से जारी किया गया घोषणा जो वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट है, जिसके विवरणी में दिनांक, मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश या छोड़ने का अनुमानित समय, जैसा भी प्रकरण हो जो विभाग के कार्यालयीन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अभिलेखों के साथ लेकर चलता है, वह वाक्य (ख) के अन्तर्गत आवश्यकता का पालनकर्ता माना जायेगा। जहां परिवहनकर्ता निर्धारित घोषणा के साथ सभी अभिलेख जांच चौकी अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां वह मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) एवं धारा 57(10) के अनुसार उसके उपर शास्ति लगाये जाने के लिये दायी होगा। पुनः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) में प्रावधान है कि जहां प्रस्तुत स्पष्टीकरण से मुख्यतः निष्कर्ष निकलता है कि सामग्री को मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर विक्रय करने की संभावना नहीं है या जहां सामग्री के संबंध में कर अपवंचन का प्रयास नहीं है, यह मान लिया जायेगा कि उपधारा (2) के प्रावधानों का अतिर्क्तमण नहीं है।

मध्यप्रदेश राज्य शासन ने कुछ वस्तुओं को 'संवेदनशील' रूप में अधिसूचित⁶ किया है इन वस्तुओं का परिवहन निर्धारित वैधानिक घोषणाओं (प्रपत्र-49) के साथ किया जाना चाहिये। प्रपत्र-49 एक नियंत्रक अभिलेख है जो सामग्री के प्रेषण, प्रेषक, प्रेषिती और जहां से सामग्री लाई गई तथा गंतव्य के संबंध में जानकारी प्रदाय करता है।

हमने पांच अपील कार्यालयों⁷ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 12 व्यापारियों के 30 प्रकरण जो नवम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 के मध्य निराकृत किये गये थे, अपीलीय प्राधिकारियों ने इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम से जारी किये गये घोषणा प्रपत्र के आधार पर यह मानते हुये कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा नहीं थी राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति को माफ किया। यद्यपि, प्रकरण नस्तीयों में, यह पाया जाता है कि निर्धारण अधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की जिनमें परिवहनकर्ता के पास प्रपत्र-49 उपलब्ध नहीं थे या वे ऐसे प्रपत्र-49 प्रस्तुत किये जो पूर्व में उपयोग किये जा चुके थे, अधूरे डाउनलोड किये गये घोषणाओं को प्रस्तुत किया या निर्धारण प्राधिकारी ने पाया कि क्रेता/विक्रेता के ब्यौरे/देयक के अन्य ब्यौरे संदिग्ध थे। इसलिये अपीलीय प्राधिकारी को इन प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी का पक्ष जानना चाहिये था कि वह क्यों अनुभव करते थे कि ये कर चोरी के प्रकरण थे और उन्होंने शास्ति अधिरोपित की। इन प्रकरणों का ब्यौरा, अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर और हमारा टिप्पणी परिशिष्ट-V में दी गई है। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

⁶ अधिसूचना क्रमांक ए-३-१९५-२००५-१-खी-(२५) दिनांक ३१.०३.२००६
⁷ उपायुक्त अपील व्यालियर, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

तालिका 3.6
त्रुटिपूर्ण रूप से शास्ति को माफ करना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई विवरण/ प्रकरणों की संख्या	माफ की गई शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियां	उत्तर और हमारे अभिमत
1	उपायुक्त अपील, इन्डौर— तीन / 04 (परिशिष्ट—V के स.क्र.5 पर दिया गया है)	24.61	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन का मंशा नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर शास्ति लगाई है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि प्रेषक एवं प्रेषिती एक ही है और फर्म द्वारा अमिश्रित चाय का अन्तरण गुवाहाटी से किया गया। चाय का मिश्रण तथा पैकिंग के बाद मध्यप्रदेश में और राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में अपील यह विचार करते हुये स्वीकार की कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र—49 नया था और उसी प्रविष्टि के साथ प्रपत्र—49 को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा यह केवल लिपकीय त्रुटि है। यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहनकर्ता पर नकली प्रपत्र—49 (उपयोग किया गया, अधूरा डाउनलोड और कटे—फटे प्रपत्र) जो चार वाहनों के पास उपलब्ध थे तथा जिनके मध्यप्रदेश में अमिश्रित चाय के परिवहन के लिये प्रवेश करने और वाहनों के जब्त होने के 12 दिनों के बाद संबंधित प्रपत्र—49 डाउनलोड किये जाने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया गया। इसलिये परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में (मई 2016) बताया कि वास्तविकता के सत्यापन के बाद कार्यवाही किया जायेगा।
2	उपायुक्त अपील, इन्डौर—तीन / 01 (परिशिष्ट—V के स.क्र. 7 पर दिया गया है)	27.81	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा पूँजीगत सामग्री को स्थापना के लिये आयात किया जा रहा था न कि बेचने के लिये। उसने वाहन जब्त किये जाने के बाद में प्रपत्र—49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और शास्ति से राहत प्रदान की, यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहनकर्ता पर प्रपत्र—49 प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया था। परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रपत्र—49 वाहन जप्त किये जाने के बाद डाउनलोड किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में (मई 2016) बताया कि धारा 57(2) के अन्तर्गत “स्पष्टीकरण—वाक्य” के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय के लिये नहीं थी इसलिये शास्ति नहीं लगाई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और उसे प्रपत्र—49 डाउनलोड की सुविधा भी उपलब्ध थी।

			लेकिन वह डाउनलोड नहीं किया गया था। प्रपत्र-49 नहीं होने से सामग्री के लेखे से बाहर रहने की सम्भावना थी और प्रपत्र-49 के न होने से क्रय विभाग के जानकारी में भी नहीं आता। इसलिये व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।
--	--	--	---

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.7.4 सामग्री के राज्य के बाहर स्टाक अन्तरण के प्रकरण में आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई/कम वापसी की गई

सात व्यवसायियों के नौ प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राशि ₹ 87.15 लाख आगतकर छूट वापसी नहीं करते हुए राहत स्वीकार की गई।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 के धारा 14(5) (ए) (i) के अनुसार जहां एक पंजीकृत व्यवसायी ने अपने विवरणी के अनुसार देय कर के संबंध में आगतकर छूट का दावा प्रस्तुत कर समायोजन किया है, वहां अनुसूची-॥ में निर्दिष्ट ऐसी छूट प्राप्त सामग्री/सामग्रियों अथवा ऐसी सामग्रियों से निर्मित या उद्धरित वस्तुओं के निपटान की स्थिति में अथवा राज्य के अंदर/भीतर देश की सीमा के बाहर विक्रय के अलावा अन्य रूप से निस्तारण की स्थिति में वह व्यवसायी उन सामग्री/सामग्रियों पर प्राप्त आगत कर छूट के रूप में उस राशि का वापस भुगतान करेगा जो क्रय मूल्य का चार प्रतिशत, आगत कर छूट की राशि, शुद्ध आगत कर में से, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

हमने चार अपील कार्यालयों⁸ के अपील प्रकरणों की जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य नमूना जांच की और सात व्यापारियों के नौ प्रकरण, जो सितम्बर 2011 से अगस्त 2014 में निराकृत किये गये थे, में पाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने राशि ₹ 87.15 लाख आगतकर छूट की वापसी किये बिना राहत प्रदान की। अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर और उस पर हमारी टिप्पणी परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

⁸

अतिरिक्त आयुक्त अपील जबलपुर उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर

तालिका 3.7
आगतकर छूट का उत्क्रम नहीं करने / कम उत्क्रम करने के उदाहरणार्थ प्रकरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण	अपीलकर्ता का नाम, टिन, अवधि, अपील प्रकरण क्रमांक और अपील आदेश का दिनांक	उत्क्रम नहीं किये गये आगत कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	उत्तर और हमारे अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इण्टरप्राइजेज प्रा. लि., कटनी, 2371620 4180, 2010–11, 80 / 2013–14 वैट एवं 25 / 2013–14 सी.एस.टी. 21.04.2014	39.92	प्रपत्र–च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टाक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस विक्रय को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किए गए पूर्ण आगतकर छूट को बिना वापसी के पूर्ण रूप से मान्य किया गया। अपील में प्रपत्र–च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
2	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड सतना, 23757000140, 2008–09 133 / 12 21.01.13	16.59	क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्पादित सामग्री के स्टाक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की गयी थी। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने आगत कर की छूट वापसी की इस व्याख्या के साथ राहत प्रदान की कि उत्पादित सामग्री के स्टाक अन्तरण पर भी क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जाएगी। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(5)(ए)(i) के अनुसार वापसी की थी।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
3	उपायुक्त वाणिज्य कर भोपाल	मेसर्स सनफिल्ड इण्डिया भोपाल, 23893602638, 2010–11 404 / 13 26.03.14	5.48	प्रपत्र–च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टाक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र–च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टाक अन्तरण को नई स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने बताया कि जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.7.5 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 11 व्यापारियों को 11 प्रकरणों में न्यून दर से कर लगाकर कर ₹ 86.98 लाख की त्रुटिपूर्ण राहत अपीलकर्ता के पक्ष में मान्य की गई।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनायें विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले वैट की दर निर्धारित करती हैं। मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अधीन, अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत जहां निर्धारण में चूक व्यवसायी की मानी गई है वहां व्यवसायी निर्धारित कर की न्यूनतम तीन गुना, लेकिन 3.5 गुना से अनधिक, शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी है।

हमने छः अपील कार्यालयों⁹ के अपील प्रकरणों की जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य नमूना जांच की और पाया कि 11 व्यापारियों के 11 प्रकरण जो जून 2011 से अक्टूबर 2014 में निराकृत किये गये थे, निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची दर से मोटर पार्ट्स, वायरिंग हारनेस और पुराने/सेकेण्ड हैण्ड मोटर कार, होम यूपीएस, मशीनरी और सीमेंट के विक्रय पर कर लगाया था जबकि अपीलीय प्राधिकारी ने निम्न दरों से कर लगा कर त्रुटिपूर्ण राहत अपीलकर्ता को प्रदान की। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 86.98 लाख को कर का कम निरूपण किया गया जैसा परिशिष्ट-VII में अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर के और उस पर हमारे अभिमत सहित दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.8 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण/प्रकरणों की संख्या	वस्तु	लगने वाले/लगाये गये कर का दर	राहत की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियां	उत्तर और हमारे अभिमत
1	उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर/04 (परिशिष्ट-VII के सरल क्रमांक 3,4,5, और 6 पर दिया गया)	पुरानी मोटर कार	12.5 / 1.5	7.29	अपीलीय प्राधिकारी ने पुराने कार/वाहन के विक्रय पर व्यवसायी को छूट प्रदान की। यद्यपि, वर्ष 2006–07 में पुराने कार/वाहन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय था।	अपीलीय प्राधिकारी जबलपुर, सागर ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार,
	उपायुक्त वाणिज्यिक कर सागर/01 (परिशिष्ट-VII के			0.15		

⁹

अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर उपायुक्त अपील इन्वैर-दो, इन्वैर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

	सरल क्रमांक 11 पर दिया गया)					"पुराने और सैकेन्ड हैण्ड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहाँ मोटर कार क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यवसायी का मुख्य व्यवसाय मोटर कारों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अपीलीय प्राधिकारी उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर-तीन /01 ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील सतना/01 (परिशिष्ट—VII के सरल क्रमांक 7 पर दिया गया)	पुराना मोटर कार	12.5 / 1.5	1.756	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उच्च दर से विक्रय कर योग्य राशि की गलत गणना के कारण कम वैट निरूपित किया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों का जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। पुनः उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2016)।

3.3.7.6 प्रवेशकर का निरूपण नहीं/कम निरूपण किया गया

अपीलीय प्राधिकारी ने 12 व्यवसायियों को 12 प्रकरणों में प्रवेशकर राशि ₹ 74.47 लाख की त्रुटिपूर्ण राहत प्रदान की।

प्रवेशकर अधिनियम 1976 तथा नियम एवं उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सामग्री के स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु प्रवेश पर प्रवेशकर (ई.टी.), प्रवेशकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट दरों पर निरूपित किया जाएगा।

हमने प्रवेशकर मामलों से संबंधित प्रकरण नस्ती की नमूना जांच में पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने अंकेक्षित लेखे/क्रय सूची/देयक बीजक आदि के आधार पर कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने के बाद तथापि, जनवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य पारित किये गये अपील आदेशों में प्रवेशकर अनुसूची के अनुसार कर प्रवेशकर निरूपित किया। हमने पाया कि सात अपील कार्यालयों¹⁰ के 12 व्यापारियों के 12 प्रकरण जो नवम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 के मध्य निराकृत किये गये थे, अपीलीय प्राधिकारी ने

¹⁰ अतिरिक्त आयूक्त अपील इन्दौर-दो और जबलपुर, उपायुक्त अपील ग्वालियर, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

त्रुटिपूर्ण प्रवेशकर राशि ₹ 74.47 लाख का राहत प्रदान की जैसा परिशिष्ट-VIII में अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर के साथ और उस पर हमारे अभिमत सहित दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.9
प्रकरण जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने प्रवेशकर की त्रुटिपूर्ण राहत प्रदान की (₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण	अपीलकर्ता का नाम, टिन, अवधि, प्रकरण क्रमांक और अपील आदेश का दिनांक	वस्तु का नाम / प्रवेशकर की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	उत्तर और हमारे अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा मॉ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि कटनी, 23716204180 2010–11 118 / 13–14 21.04.14	कोयला 29.42	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 2331700844 द्वारा प्रदाय किये गये घोषणा प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता ने प्रवेश छूट की मांग की, यद्यपि विक्रय देयक के अनुसार प्रमाणित होता है कि उपरोक्त विक्रय दूसरे व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 23127002475 को किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त इन्दौर परिषेत्र-दो	मेसर्स प्रकाश सालवेक्स इन्दौर, 23361400981 / 2008–09 08 / 11 21.03.12	आरबीडी पाम आइल / 7 .65	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को अन्तिम स्कन्ध की सामग्री (2008–09) के आधार पर कर में राहत दी जबकि स्टाक अन्तरण 2009–10 में किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने यह वास्तविकता सत्यापित नहीं की कि अपीलकर्ता द्वारा उस स्टाक अन्तरण के संबंध में क्रय मूल्य की प्रवेशकर गणना में छूट हेतु वर्ष 2009–10 में ही दावा किया था। यद्यपि, निर्धारण प्राधिकारी ने स्टाक अन्तरण के आधार पर ही 2009–10 में छूट प्रदान की थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि केवल कल्पना के आधार पर आपत्ती ली गई। उत्तर मानने याग्य नहीं है क्योंकि यह आगामी वर्ष (2009–10) प्रवेशकर के निर्धारण आदेश से स्वयं प्रमाणित होता है कि व्यवसाइ से हस्तांतरित सामग्री के क्रय मूल्य पर पूरी भंडार सामग्री पर छूट का दावा किया जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मान्य किया गया।
3	उपायुक्त वाणिज्य क कर अपील, इन्दौर—तीन	मेसर्स एसोसीयेट अलकोहल एण्ड बरेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, 23581200555 / 2004–05 173 / 10	सड़ा अनाज / 16.61	आयात किये गये सड़े अनाज पर निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची—दो के प्रविष्टि 57 “सभी प्रकार के अनाज और दालें” के अनुसार एक प्रतिशत की दर से प्रवेशकर	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों की जांच के बाद

		14.11.11	निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने सड़े अनाज को मनुष्यों एवं जानवरों के लिये अनुपयोगी होने से अनाज नहीं मानते हुये अपीलकर्ता को प्रवेशकर से राहत प्रदान की। यद्यपि, सड़े अनाज के संबंध में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और व्यवसायी ने सड़े अनाज को कच्चे सामग्री के रूप में मदिरा बनाने के लिये उपयोग किया, इसलिये अनुसूची—तीन की प्रविष्टि क्रमांक एक “अनुसूची एक और दो में सम्मिलित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुयें एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं” अनुसार कर योग्य है।	कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।
--	--	----------	--	----------------------------------

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.8 अनुज्ञेय प्रकरणों के लिये द्वितीय अपील अधिमान्य नहीं किया जाना

यद्यपि आयुक्त को अधिनियम के अनुसार द्वितीय अपील में जाने का अधिकार है, अपीलीय प्राधिकारी ने 476 प्रकरणों में राशि ₹ 291.86 करोड़ कर की राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की लेकिन विभाग ने किसी भी प्रकरण में द्वितीय अपील में जाने के संबंध में विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधिनियम में आयुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी को द्वितीय अपील में जाने हेतु सक्षम बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 46 (3) के प्रावधान के अनुसार, जहां आयुक्त के विचार में उपायुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो वह उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय मण्डल के समक्ष उस आदेश के दिनांक से दो कैलेण्डर वर्ष के भीतर अपील दाखिल कर सकता है।

हमने मार्च 2016 और अप्रैल 2016 के मध्य दो अपीलीय प्राधिकारी— अतिरिक्त आयुक्त, इन्दौर परिक्षेत्र—दो और जबलपुर के अपील आदेशों के नमूना जांच के दौरान पाया कि 1,216 प्रकरणों का निराकरण अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य किया गया जिसमें से 476 प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने राशि ₹ 291.86 करोड़ का राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की, जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.10
प्रकरण जिनमें विभाग ने द्वितीय अपील को अधिमान्य नहीं किया

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया	अपील आदेश की राशि
1	अतिरिक्त आयुक्त, अपील जबलपुर परिक्षेत्र	209	43.10
2	अतिरिक्त आयुक्त, अपील इन्दौर परिक्षेत्र—दो	267	248.76
	योग	476	291.86

यद्यपि आयुक्त को द्वितीय अपील अधिमान्य करने का अधिकार था तथापि प्रथम अपील में अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णित प्रकरणों में से एक भी अनुज्ञेय प्रकरण द्वितीय अपील हेतु अधिमान्य नहीं किया गया।

आगे अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा आयुक्त उन प्रकरणों में द्वितीय अपील अधिमान्य कर सके जिसमें उसके विचार से उपायुक्त (अपील) ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। पुनः अधिनियम में आयुक्त के अलावा अन्य किसी प्राधिकारी को द्वितीय अपील अधिमान्य करने हेतु सक्षम बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि अधिनियम में संशोधन किया जायेगा इसलिये भविष्य में उन सभी प्रकरणों में जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने करदाता के पक्ष में निर्णय दिया है, उसमें अपील आदेशों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी और उनके अनुसार अनुज्ञेय प्रकरणों को द्वितीय अपील के लिये अधिमान्य किया जायेगा एवं निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि उन प्रकरणों में जिनमें निर्धारण प्राधिकारी का अभिमत है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों की उपेक्षा की गई है या उनकी उपेक्षा करते हुए अपीलकर्ता व्यवसायी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, उन प्रकरणों हेतु अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान करते हुए निर्धारण प्राधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाए।

3.3.9 निष्कर्ष

- प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने उन व्यवसायियों की अपील स्वीकार की जिनके द्वारा अपील दाखिल करते समय निर्धारित राशि जमा नहीं की गई थी।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने अपील दर्ज करने हेतु निर्धारित अवधि के बाद दाखिल किये गये अपील प्रकरणों को स्वीकार किया। द्वितीय अपील में निर्धारित समय—सीमा में अपील का निराकरण नहीं किया गया।
- प्रथम अपील में अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णित प्रकरणों में, विभाग ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील को अधिमान्यनहीं किया। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे इस बात की पुष्टि हो कि जहां अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया है वहां प्रकरणों की जांच

कर आयुक्त ने यह सुनिश्चित किया हो कि द्वितीय अपील अधिमान्य करने की आवश्यकता नहीं है।

3.3.10 अनुशंसाएँ

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 (5) के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा केवल उन अपील प्रकरणों को स्वीकार करना चाहिये जिसमें निर्धारित राशि अपील ज्ञापन के साथ जमा की गई है।
- संहिता के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर ऐसा प्रावधान सम्मिलित किया जा सकता है जिससे निर्धारण प्राधिकारी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर अवश्य दिया जाए और उसका अभिमत नियमानुसार सम्मिलित कर अपील प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए।
- उन प्रकरणों में जिनमें निर्धारण प्राधिकारी का अभिमत है कि व्यवसायी की अपील स्वीकार करते हुए प्रावधानों की उपेक्षा अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया है तो अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिये निर्धारण सशक्त बनाने के लिये प्राधिकारियों को अधिकार दिया जा सकता है।

सभी अनुशंसाओं को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया (सितम्बर 2016)।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.4 कर कटौती की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर निर्धारित करते समय विक्रय मूल्य में कर शामिल न होने पर भी कुल विक्रय राशि पर कर की छूट दी गई। इस अनियमित छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.76 करोड़ के कर एवं ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2(x)(iii) के अंतर्गत कर योग्य टर्नओवर की गणना हेतु एक सूत्र निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं की जायेगी, यदि पंजीकृत व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर की राशि या तो विक्रय मूल्य में सम्मिलित ही नहीं है अथवा कुल विक्रय मूल्य में से अन्यथा काटी जा चुकी है।

हमने चार संभागीय कार्यालयों¹¹, दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹² एवं पांच वृत्त कार्यालय¹³ में जुलाई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य 18,850 कर निर्धारण आदेशों की नमूना जांच की और पाया कि जून 2013 तथा फरवरी 2015 के मध्य निर्धारित 2010–11 तथा 2012–13 की अवधि के 11 व्यवसायियों से संबंधित 12 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने टर्नओवर निर्धारित करते समय कुल विक्रय मूल्य में से कर की कटौती स्वीकार की। चूंकि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं था, इसलिये कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। कटौती की इस अनियमित स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 31.37 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण अप्रैल 2016 तथा जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

¹¹ संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल-1, ग्वालियर-1, इन्दौर-2 तथा उज्जैन

¹² सहाय्यक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर-1 तथा इन्दौर 2

¹³ वाणिज्यिक कर अधिकारी भिंड, भोपाल-1, नरसिंहपुर, इन्दौर-14 तथा शिवपुरी

3.5 कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 75.29 करोड़ के टर्नओवर पर गलत दर से कर का आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.70 करोड़ सहित ₹ 11.23 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यवसायियों के कर योग्य टर्नओवर पर अधिनियम की अनुसूची-II में संबंधित सामग्री के समक्ष कॉलम—तीन में दी गई प्रविष्टि के अनुसार कर का आरोपण किया जाएगा। फोटोकापी मशीन/पुर्जे/सहायक सामग्री, बैटरी इन्वर्टर, चाकू, गैस लाईटर, ड्रैक्टर की सहायक सामग्री जैसी वस्तुएं वैट अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग-IV की प्रविष्टि क्र. 1 के अनुसार 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य दो संभागीय कार्यालयों¹⁴ दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁵ और 14 वृत्त कार्यालयों¹⁶ में 26,076 प्रकरणों से संबंधित कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, विवरणियों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित ऐसे कर प्रकरण जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015 के मध्य किया गया था, उनमें 24 व्यवसाईयों के 27 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 75.29 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर सामग्रियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप गलत दरों से कर आरोपित किया था। इसके परिणामस्वरूप वैट ₹ 5.53 करोड़ एवं शास्ति ₹ 5.70 करोड़ का कम आरोपण हुआ जिसका उल्लेख परिशिष्ट-X में किया गया है। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारा अभिमत परिशिष्ट-X में दिये गये हैं।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 तथा अगस्त 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.6 आगत कर की छूट

3.6.1 अमान्य आगत कर की छूट की स्वीकृति

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 6.76 करोड़ की आगत कर की छूट स्वीकृत की गई जो कि वैट अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.56 करोड़ सहित ₹ 10.32 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जहां कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात् अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट वस्तुओं, इसी अनुसूची के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, का क्रय करता है तो उसे उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर की राशि के बराबर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश वैट नियम 2006 के नियम 9 के अंतर्गत यदि देयक, बीजक व नगद पर्ची में पंजीकृत विक्रय व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर का विवरण पृथक से प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगत कर में छूट का न तो व्यवसायी द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा, न ही ऐसी छूट स्वीकृत की जायेगी।

¹⁴ उपायुक्त भोपाल 2 एवं खण्डवा

¹⁵ सहायक आयुक्त छिंदवाडा, इंदौर 2, इंदौर 9 एवं नीमच

¹⁶ वाणिज्यिक कर अधिकारी अनुपपुर, बैतूल, मिष्ठ, ग्वालियर 4, इंदौर 2, इंदौर 7, इंदौर 9, इंदौर 12, इंदौर 14, इंदौर 15, जबलपुर 1, खण्डवा शिवपुरी एवं बैढ़न

हमने तीन संभागीय कार्यालयों¹⁷, चार क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁸ एवं 20 वृत्त कार्यालयों¹⁹ के 35,209 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची इत्यादि की नमूना जांच (मार्च 2015 और मार्च 2016 के मध्य) की तथा पाया कि अवधि 2010–11 से 2013–14 के मध्य निर्धारित किये गये 51 प्रकरण जो 47 व्यवसायियों से संबंधित थे तथा जिनका निर्धारण जुलाई 2013 से मार्च 2015 के मध्य किया गया था, आगत कर की छूट प्रदान की गई। जिनमें पेट्रोल एवं डीजल के वाष्पीकरण पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अमान्य आगत कर छूट, अंकेक्षित लेखों में दर्शायी राशि से अधिक की सामग्री के क्रय पर आगत कर की अनियमित छूट तथा अधिसूचित सामग्रियों पर आगत कर छूट जैसे प्रकरण सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.75 करोड़ की अमान्य आगत कर छूट दी गई। ₹ 3.56 करोड़ की शास्ति भी अमान्य आगत कर पर आरोपणीय थी। अमान्य आगत कर छूट स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 10.32 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण परिशिष्ट–XI में दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारा अभिमत परिशिष्ट में दिया गया है।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.6.2 राज्य से बाहर स्टॉक स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में आगतकर में स्वीकार्य छूट की वापसी न होना/कम वापसी होना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा शाखा कार्यालयों को स्थानांतरित स्टॉक के अनुपात में आगत कर छूट की वापसी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.46 लाख के आगत कर छूट वापसी नहीं की गयी।

व्यवसायियों को आगत कर छूट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं प्रमाणित अंकेक्षित लेखों में दर्शित क्रय के संपूर्ण सत्यापन व जांच के उपरांत ही दी जानी चाहिए। साथ ही मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 (5) (i) के अनुसार जहां पंजीकृत व्यवसायी, प्रस्तुत विवरणी के अनुसार, स्वयं के द्वारा भुगतान योग्य कर की राशि के विरुद्ध आगत कर में छूट का दावा प्रस्तुत करता है तथा उसका दावा मान्य कर छूट प्रदान की जाती है वहां अधिनियम की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट सामग्री/सामग्रियों से निर्मित/व्युत्पन्न वस्तुओं के मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय के अलावा अन्य किसी तरीके से निवर्तन अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा देश की सीमा के बाहर विक्रय करने पर व्यवसायी आगत कर या ऐसी सामग्री की क्रय राशि में से आगत कर घटाकर क्रय मूल्य का चार प्रतिशत, जो भी कम हो, उपरोक्त सामग्री पर उसके द्वारा समायोजित आगत कर छूट के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने संभागीय कार्यालय, संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर एवं वृत्त कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी बालाघाट के कार्यालयों में 35,029 प्रकरणों से संबंधित कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूचियों आदि की नमूना जांच (जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) की एवं पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा अवधि 2010–11 से 2012–13 से संबंधित तीन व्यवसायियों के तीन प्रकरणों में कर निर्धारण (सितम्बर 2013 से जनवरी 2015 के मध्य) के दौरान शाखा कार्यालयों को स्थानांतरित स्टॉक के अनुपात में आगत कर छूट की वापसी नहीं की गई अथवा कम वापसी की गईजिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.46 लाख के आगत कर छूट की वापसी नहीं

¹⁷ उपायुक्त भोपाल 2, ग्वालियर 1 और जबलपुर 2

¹⁸ सहायक आयुक्त ग्वालियर 1, इन्दौर 2, रत्नाम और सागर

¹⁹ वाणिज्यिक कर अधिकारी अन्धपुर, बालाघाट, बैतुल, लिंदवाडा 1, दमोह, ग्वालियर 2, ग्वालियर 3, ग्वालियर 4, इन्दौर 2, इन्दौर 9, इन्दौर 14, जबलपुर 1, गुना, इटारसी, कटनी 2, खण्डवा, नरसिंहपुर, रीवा, सागर और शिवपुरी

हुई। गलत दावों के विरुद्ध ₹ 1.35 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।
(परिशिष्ट-XII)

इसे इंगित किये जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बालाघाट द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी; सभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर द्वारा दो प्रकरणों के संदर्भ में बताया गया कि शाखा कार्यालय को स्थानांतरण एवं सकल विक्रय के अनुपातमें ही आगत कर की छूट की वापसी की गई थी।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्टॉक स्थानांतरण एवं सकल विक्रय की गणना स्क्रेप विक्रय, कैन्टीन विक्रय तथा वैट की राशि सकल टर्नओवर में से कम कर कीजानी थी, जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.7 टर्नओवर का गलत निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के अंकेक्षित खाते/विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में दर्ज कर योग्य टर्नओवर के विरुद्ध राशि ₹ 51.63 करोड़ के कर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 10.24 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अनुसार किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में सामग्रियों के विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण से प्राप्त अथवा प्राप्त कुल विक्रय मूल्य है जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त सामग्री का वापसी मूल्य सम्मिलित नहीं है। कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण हेतु अधिनियम और मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत कुल टर्नओवर में से कर चुका माल एवं कर की राशि, यदि सकल विक्रय मूल्य में सम्मिलित है तो, कम की जायेगी। आगे धारा 21 (3) में यह प्रावधान है कि उप धारा (1) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही के प्रारम्भ होने की तिथि से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर निर्धारण या पुर्ननिर्धारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 18 (4) (a)के अन्तर्गत व्यवसायी 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, यदि व्यवसायी सामयिक विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है तथा यदि वह स्वयं कर का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है तो, अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत उस पर निर्धारित कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

हमने सात सभागीय कार्यालयों²⁰, सात क्षेत्रीय कार्यालयों²¹ एवं 20 वृत्त कार्यालयों²² के 2010–11 से 2012–13 के मध्य की अवधि के 35,274 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) की और पाया कि 53 व्यवसाईयों के 56 प्रकरणों में जुलाई 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य की अवधि में कर निर्धारित करते समय व्यवसाईयों के अंकेक्षित लेखा पुस्तकों, विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में अभिलिखित टर्नओवर से ₹ 51.63 करोड़ का कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल ₹ 10.24 करोड़ के कर का कम

²⁰ उपायुक्त छिंदवाडा इन्वॉर 2, इन्वॉर (एलटीपीयू), खण्डवा और सागर

²¹ सहायक आयुक्त ग्वालियर 1, ग्वालियर 2, इन्वॉर 1, 2, 3 इन्वॉर 11 और सागर 1

²² वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर, बालाघाट, बैतुल, भोपाल 6, बुरहानपुर, छिंदवाडा 1, छिंदवाडा 2, ग्वालियर 3, 4 ग्वालियर 14, होशगाबाद, इन्वॉर 2, इन्वॉर 14, जबलपुर 1, खडगा, मदरसोर, नौगांव, रत्तलाम 2, शैवा और सागर

आरोपण हुआ। विभाग के उत्तर एवं उस पर हमारा विस्तृत अभिमत परिशिष्ट—XIII में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण/बिना घोषणा पत्र के छूट

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाइल्स इत्यादि, वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर ₹ 184.43 करोड़ का प्रवेशकर या तो आरोपित नहीं किया गया था अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था अथवा व्यवसायियों से निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा—पत्र प्राप्त किये बिना प्रवेश कर की छूट दी गई जिसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित ₹ 9.27 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में स्वयं के उपयोग अथवा विक्रय प्रयोजन से लाई गई सामग्री के प्रवेश पर निर्धारित दरों पर प्रवेश कर का आरोपण किया जाएगा। इस अधिनियम तथा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार जहां कर निर्धारण में त्रुटि के लिए विक्रेता उत्तरदायी पाया जाएगा, वहां विक्रेता पर शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी।

अधिसूचना क्र. 21 एवं 22 दिनांक 4 अप्रैल 2005 के अनुसार, यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्यप्रदेश राज्य में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करता है तथा प्रवेश कर छूट योजना 2004 के अंतर्गत प्रवेश कर का भुगतान करने से छूट प्राप्त करता है, तो वह प्रवेश कर का भुगतान नहीं करेगा यदि वह मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-II एवं III में निर्दिष्ट/शामिल ऐसी सामग्री लाता है जो स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु कच्चे माल के तौर पर या प्रासंगिक उपयोग हेतु अथवा औद्योगिक इकाई में बनी सामग्री के पैकिंग हेतु प्रयुक्त होना है; अथवा, यदि वह अनुसूची-II में शामिल सामग्री को स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य विक्रेता को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार इस लिखित घोषणा पत्र के साथ बेचता है कि खरीदी जा रही सामग्री उपभोग हेतु, कच्चे माल के तौर पर या उसकी औद्योगिक इकाई में प्रासंगिक प्रयोग हेतु उपयोग की जाएगी।

हमने छ: संभागीय कार्यालयों²³, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों²⁴ एवं 22 वृत्त कार्यालयों²⁵ के अभिलेख जैसे—कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि की नमूना जांच (मई 2015 और मार्च 2016 के मध्य) में पाया गया कि 2010–11 से 2013–14 की अवधि के 36,037 कर निर्धारण/पुनर्निर्धारण प्रकरणों में (सितम्बर 2013 और मार्च 2015 के मध्य) 58 व्यवसाईयों के 59 प्रकरणों में लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाईल्स आदि पर ₹ 102.77 करोड़ की राशि पर प्रवेश कर का या तो आरोपण ही नहीं हुआ था या गलत दर से आरोपण हुआ था। व्यवसायी द्वारा प्रवेश कर छूट योजना 2004 के अंतर्गत छूट प्राप्त औद्योगिक इकाई में उपभोग हेतु किसी अन्य व्यवसायी को विक्रय की गई सामग्री के संदर्भ में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा—पत्र न दिये जाने पर भी प्रवेश कर की अनियमित छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित राशि ₹ 9.27 करोड़ प्रवेश कर का

²³ उपायुक्त भोपाल 1, भोपाल 2, छिंदवाडा, इन्दौर 2, सामर और उज्जैन

²⁴ सहायक आयुक्त सागर 2, इन्दौर 1, इन्दौर 2, इन्दौर 3, छिंदवाडा, सामर 1, ग्वालियर 1 और रत्नाम

²⁵ वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 2, जबलपुर 2, नरसिंहपुर, होशगाबाद, टैक्स आर्डिट बिंग 2 इन्दौर, इन्दौर 3, इन्दौर 9, शहडोल, जबलपुर 4, इन्दौर 7, भोपाल 6, इन्दौर 8, बालाघाट, अनूपपुर, बैढ़न, दमोह, बैतूल, मुरैना, इन्दौर 14, इन्दौर 8 और ग्वालियर 4

आरोपण नहीं हुआ। विभाग के उत्तर और हमारे अभिमत सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-XIV** में दिये गये हैं।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.9 शास्ति का अनारोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत वसूली योग्य शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि कर निर्धारण में त्रुटियों के लिए व्यवसायी उत्तरदायी था जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, जहां किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण अधिनियम के अधीन किया जा चुका है और कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से किसी कालावधि के दौरान, कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है या कोई अमान्य कटौती स्वीकार की गई हो या कर निर्धारण करते समय आगत कर की गलत छूट दी गई है अथवा ऐसी त्रुटि राजस्व प्राप्ति के हित में न हो तो आयुक्त निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी समय, व्यवसायी को लिखित सूचना देकर उसके भुगतान योग्य कर के लिये निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा। जहां त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण व्यापारी की गलती के कारण हुआ वहाँ व्यापारी पर इस प्रकार निर्धारित कर राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति आरोपित करेगा।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय (सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर-2) तथा तीन वृत्त कार्यालयों (वाणिज्यिक कर अधिकारी-दमोह, धार व बैढ़न) में 3,832 प्रकरणों से संबंधित अभिलेख जैसे—कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियां व क्रय सूची आदि की नमूना जांच की (मार्च 2014 से मार्च 2015 के बीच) तथा यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत चार विक्रेताओं (जांचे गये 3,832 प्रकरणों में से) के 2009–10 एवं 2011–12 के मध्य निर्धारित कर निर्धारण प्रकरणों में दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 के बीच कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण न करते हुए अधिनियम की धारा 18 व 39 के अंतर्गत ब्याज व शास्ति का आरोपण किया, जैसा कि कर सूचना विनिमय प्रणाली (TINXSYS) से सत्यापित होता है कि विक्रेता द्वारा वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक सी-फार्म प्राप्त किए गए थे। यह विक्रेता का सोचा—समझा कृत्य था जिसके कारण कर का कम निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-XV** में दर्शित विवरण अनुसार ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। कर निर्धारण अधिकारी के उत्तर एवं उस पर हमारा अभिमत **परिशिष्ट-XV** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बैढ़न ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि करारोपण, सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धारा-21 एवं नियम 31 (2) (3) के अंतर्गत कर का सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि नियम 31 (2) और (3) केवल उन प्रकरणों पर लागू होता है जहाँ व्यवसायी द्वारा निर्धारण या पुनर्निर्धारण के समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हों तथा उन साक्ष्यों की जांच एवं व्यवसायी द्वारा दर्ज आपत्तियों को ध्यान में रख कर, कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया गया हो। यद्यपि इस प्रकरण में व्यवसायी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ न ही कोई लेखा प्रस्तुत किया। व्यवसायी द्वारा कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई, अतः धारा 21 (2) के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी पर शास्ति आरोपणीय थी।

हमने शासन और विभाग को अप्रैल 2016 एवं अगस्त 2016 में प्रकरण प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा बैठक में (सितम्बर 2016) उत्तर दिया कि विस्तृत उत्तर प्रकरण के परीक्षण उपरांत दिया जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.10 अनुबंधित कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री पर कर का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण गणना की गई व ठेकेदार द्वारा परियोजना में उपयोग हेतु क्रय की गई कुछ सामग्रियों पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 2 (Z) के अनुसार किसी भी अवधि से संबंधित टर्नओवर का तात्पर्य विक्रेता द्वारा उस अवधि में किसी भी विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया अथवा प्राप्त सकल विक्रय मूल्य है भले ही वह पूर्ण अथवा आंशिक टर्नओवर कर योग्य हो। किन्तु यदि उस सामग्री का क्रेता छः माह की अवधि के भीतर क्रय की गई उक्त सामग्री का पूर्ण भाग या अंश किसी कारणवश वापस करता है तो उस वापस की गई सामग्री का विक्रय मूल्य, यदि विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस किया गया हो तो, विक्रेता के टर्नओवर से घटा दिया जाएगा।

हमने संभागीय कार्यालय, जबलपुर के 117 प्रकरणों के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकोक्षित लेखों, विवरणियों, क्रय सूची आदि की नमूना जाँच (फरवरी 2016 में) की तथा पाया कि ऑकारेश्वर परियोजना के कार्य में संलग्न एक व्यवसायी (मेसर्स जी. के. सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) का वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण, विभाग द्वारा अप्रैल 2014 में किया गया था, तथा कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण प्रकरण करते समय कर योग्य टर्नओवर ₹ 94.05 करोड़ की गणना की जबकि भुगतान सूची (मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट) एवं चलित देयकों से स्पष्ट था कि कर योग्य टर्नओवर ₹ 143.66 करोड़ (स्टील क्रय ₹ 101,63,87,240 तथा पाईप्स ₹ 42,02,87,175) था। परिणामस्वरूप टर्नओवर के अंतर की राशि ₹ 49.62 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर ₹ 2.48 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर (फरवरी 2016) में बताया कि एक वर्ष में निर्माण कार्य के लिये हस्तांतरित सामग्री का कुल विक्रय मूल्य सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) होता है न कि सकल प्राप्ति, क्योंकि सकल प्राप्ति में मजदूरी, आपूर्ति, मजदूरी पर लाभ आदि सन्तुष्टि होते हैं जो कि “सामग्री” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। अतः इन प्राप्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लेखापरीक्षा आपत्ति में सकल टर्नओवर व सकल प्राप्ति का भेद किए बिना कर की गणना की गई है, जो कि सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा अनुचित है क्योंकि किसी भी अवस्था में सकल प्राप्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कुल प्राप्ति ₹ 152.16 करोड़ में से विक्रेता को दिये गये मोबिलाईजेशन व मशीनरी अग्रिमों को घटाने के बाद, जैसा कि भुगतान के मेमोरेंडम क्र. 15, 11वां चलित बिल एवं मेमोरेंडम क्र. 16, 9वां चलित बिल से स्पष्ट था कि ₹ 101.64 करोड़ का भुगतान एम एस प्लेट (स्टील का क्रय) एवं ₹ 42.03 करोड़ का भुगतान पाईपों के क्रय हेतु किया गया था।

हमने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2016)। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद विस्तृत उत्तर प्रेषित किया जाएगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.11 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/छूट अथवा रियायत की अनियमित स्वीकृति

निर्धारण अधिकारियों द्वारा दो प्रकरणों में निर्धारण के समय, रियायती दरों पर विक्रय स्वीकृत किये गये जो कि प्रपत्र "सी" से समर्थित नहीं थे, एक प्रकरण में मध्यप्रदेश के प्रपत्र "सी" पर रियायती दरस्वीकृत किये गये, जो कि असत्य घोषणा—पत्रों के आधार पर छूट दी गई थी जबकि दूसरे प्रकरण में गलत गणना पर छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 55.84 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में स्वयं के पंजीकरण प्रमाण—पत्र में उल्लिखित श्रेणियों की सामग्री किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय करता है, वह टर्नओवर पर दो प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा, बशर्ते ऐसा विक्रय प्रपत्र "सी" में घोषणा—पत्रों से समर्थित हो। विक्रेता व्यवसायी, पंजीकृत क्रेता व्यवसायी से निर्धारित घोषणा—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह अपने अन्तर्राज्यीय विक्रय टर्नओवर पर ऐसी सामग्री के राज्य के भीतर क्रय एवं विक्रय पर लागू अनुसूची दर से कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय जो निर्धारित प्रपत्र "सी" में दिए घोषणा—पत्रों से समर्थित है उस पर दो प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा। अन्यथा राज्य में प्रचलित अनुसूची दर से कर का निर्धारण किया जायेगा। आगे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (2) सहपठित वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार यदि कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण में त्रुटि व्यवसायी की चूक के कारण हुई हो व्यवसायी पर इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

हमने दो संभागीय कार्यालयों (संभागीय उपायुक्त संभाग—दो इंदौर एवं टैक्स ऑफिट विंग इन्दौर), तीन क्षेत्रीय कार्यालयों²⁶ एवं दो वृत्त कार्यालयों²⁷ एवं संभागीय उपायुक्त टैक्स ऑफिट विंग ग्वालियर के 954 प्रकरणों के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित खातों, विवरणियों एवं क्रय सूची आदि की नमूना जांच (जुलाई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य) में अवलोकित किया कि चार व्यवसायियों के प्रकरणों (2011–12 एवं 2012–13 की अवधि से सम्बन्धित) का निर्धारण जून 2014 से फरवरी 2015 के मध्य किया गया। निर्धारण प्राधिकारियों ने दो प्रकरणों का निर्धारण करते समय रियायती दर पर विक्रय की छूट दी जो कि प्रपत्र "सी" से समर्थित नहीं थी, जबकि शेष दो प्रकरणों में से एक में मध्यप्रदेश राज्य के सी—फार्म पर रियायती दर की छूट दी गई तथा दूसरे प्रकरण में गलत गणना की गयी। परीक्षण किये गए कुल 4,064 प्रकरणों में से पांच व्यवसाईयों के पांच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 371.99 लाख की अन्तरप्रांतीय विक्रय, जो सी—फार्म समर्थित थी, पर रियायती दर से कर का आरोपण किया गया। कर सूचना विनिमय प्रणाली (TINXSYS) में पुनःसत्यापन से पता चला कि ये जारी घोषणा—पत्र या तो दूसरे राज्यों से संबंधित वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे या किसी अन्य विक्रेता के नाम जारी किए गए थे या व्यवसायी द्वारा दर्शायी गयी राशि से कम राशि के जारी हुए थे।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के कर एवं ₹ 55.84 लाख की शास्ति की कम वसूली हुई। प्रत्येक प्रेक्षण के साथ इसका विवरण तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर तथा उस पर हमारा अभिमत परिशिष्ट—XVI में दिया गया है।

²⁶ सा.आ.वा.क. ग्वालियर 2, इन्दौर 3 एवं रत्नाम
²⁷ वा.क.अ. इन्दौर 12 एवं मुरेना

हमने प्रकरण शासन और विभाग को जून 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि विस्तृत उत्तर प्रकरण की संवीक्षा के पश्चात् दिया जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.12 विक्रय को त्रुटिपूर्ण तरीके से कर मुक्त अथवा कर चुका माना गया

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के दौरान ₹ 3.87 करोड़ मूल्य की कर योग्य सामग्रियाँ जैसे आटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, कीटनाशक इत्यादि को कर मुक्त सामग्री मानते हुए करारोपण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.08 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 15.71 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं। अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, यदि निर्धारण में हुई चूक के लिए व्यवसायी जिम्मेदार हैं तो वह निर्धारित किए गये कर के न्यूनतम तीन गुना शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।

हमने चार वृत्त कार्यालयों²⁸ के 7,961 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची इत्यादि अभिलेखों की नमूना जांच, मई 2015 और सितम्बर 2015 के मध्य की तथा पाया कि 2011–12 एवं 2012–13 तक की अवधि के कर निर्धारण प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मई 2014 एवं सितम्बर 2014 के मध्य निर्धारित पांच व्यवसाईयों के प्रकरणों में ₹ 3.87 करोड़ मूल्य के लुब्रीकेंट, स्प्रिंकलर पाइप, जूट, पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पर कोई करारोपण नहीं किया गया बल्कि वस्तुओं को कर मुक्त/कर चुका माना गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.08 लाख के कर का कम संग्रहण हुआ। जबकि कर योग्य सामग्री को गलत ढंग से कर मुक्त (परिशिष्ट-XVII) माना जाने के कारण ₹ 15.71 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने (मई 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) पर कर निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के विस्तृत उत्तर भेजे जायेंगे। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.13 प्रशमन के प्रकरणों में कटौती की अनियमित स्वीकृति एवं कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रशमन के दो प्रकरणों में धारा 2 (x)(III) के अन्तर्गत अनियमित छूट दी गई एवं अपंजीकृत डीलर से क्रय के विरुद्ध सेवाकर एवं अपंजीकृत डीलर से क्रय के प्रकरणों में कर की गलत दर लगायी गई। जिसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 33.14 लाख सहित ₹ 50.58 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यवसायी, अनुसूची-II के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुयों किसी अन्य व्यवसायी से राज्य के भीतर मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कर काउसे भुगतान कर क्रय करता है और/अथवा अनुसूची-I में निर्दिष्ट सामग्रियों का क्रय करता है तो वह धारा 9 के अंतर्गत देय कर

²⁸

वाणिज्यिक कर अधिकारी बालाघाट, बैतूल, इन्दौर और जबलपुर

के बदले में एक मुश्त राशि का भुगतान का विकल्प ले सकता है। आगे मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2006, के नियम 8-A (4) (अधिसूचना क्र. 27 दिनांक 24 सितम्बर 2009 द्वारा संशोधित) के अनुसार प्रशमन के रूप में भुगतान की जाने वाली एक मुश्त राशि का निर्धारण कार्य संविदा के अंतर्गत व्यापारी को प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली निर्धारित कुल राशि पर दर्शायी गयी दर से निर्धारित किया जायेगा। यदि व्यवसायी अनुसूची-I में निर्दिष्ट सामग्री अथवा अनुसूची-II में निर्दिष्ट सामग्री राज्य के भीतर अन्य डीलर से धारा 9 के अनुसार कर चुका कर क्रय कर थोक सामग्री प्रदाय करता है तो कर की दर एक प्रतिशत रहेगी अन्यथा व्यवसायी को पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा। आगे यह भी कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत यदि निर्धारण में हुई चूक के लिये यदि व्यवसायी जिम्मेदार है तो निर्धारित कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति व्यवसायी द्वारा देय होगी।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय (सहा. आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग—एक, सागर) एवं एक वृत्त कार्यालय (वा.क. अधिकारी, अनूपपुर) में 792 प्रकरणों के कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य) की और पाया कि दो व्यवसायियों के अवधि 2011–12 व 2012–13 के दो प्रकरण जो कि जुलाई 2014 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निर्धारित हुए थे (सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग—एक, सागर का निर्धारिती व्यवसायी—डिप्लेक्स वाटर इंजीनियरिंग लिंग, जिन्होंने जी.ए.आई.एल.एवं जबलपुर नगर निगम की कार्य संविदायें निष्पादित की) एवं (वा.क.अधिकारी, अनूपपुर द्वारा निर्धारिती व्यवसायी—एस.के. मिनरल जिन्होंने एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा दिये गये कार्य संविदाओं को निष्पादित किया); कर निर्धारण प्राधिकारी सागर संभाग द्वारा कर निर्धारण के समय धारा 2 (x)(iii) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण कटौती स्वीकृत की गई एवं सेवा कर की अनियमित छूट दी गई जबकि व्यवसायी द्वारा प्राप्त कुल मौद्रिक प्रतिफल पर बिना कटौती की स्वीकृति के कर का आरोपण किया जाना चाहिए था। अनूपपुर वृत्त में डीलर द्वारा कम्पोजीशन कार्य से सम्बन्धित क्रय पर पांच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, यद्यपि पंजीकृत डीलर से क्रय के दावे के समर्थन में लेखापरीक्षा में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। परिणामतः ₹ 17.44 लाख के कर का कम संग्रहण हुआ जिसका विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है:

तालिका 3.11
व्यवसायी पर कम करारोपण की राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कुल मौद्रिक प्रतिफल	कर की दर	कर	कर निर्धारण आदेश मेंलिया गया मौद्रिक प्रतिफल	कर निर्धारण आदेशानुसार कर का निर्धारण	अंतर	कर का अंतर
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग—एक, सागर							
1	23.38 करोड़	5%	1.17 करोड़	21.22 करोड़	1.06 करोड़	10.81लाख	—
2	1.52 करोड़	4%	6.10 लाख	1.47 करोड़	5.86 लाख	23,472	—
योग						11.05 लाख	
वाणिज्यिक कर अधिकारी अनुपपूर							
1	1.59 करोड़	5%	1% 1.59	4%	7.98 लाख	1.59 लाख	6.38 लाख

दूंकि व्यवसायी ने त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया (सहा. आयु. वाणिज्यिक कर डिवीजन-1 सागर), अतः वह धारा 21(2) के अन्तर्गत निर्धारित कर की न्यूनतम तीन गुना शास्ति ₹ 33.14 लाख का दायी था। इस प्रकार कुल ₹ 50.58 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर दिया (अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों की संवीक्षा उपरान्त विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.14 क्रय कर का अनारोपण

धारा 10 (ए) के अंतर्गत क्रय कर छूट के लिये निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर भी एक व्यवसायी पर ₹ 38.37 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 10 (ए) के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे व्यवसायी, जो अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किसी वर्ष में ऐसी अधिसूचित सामग्री का क्रय करता है, जिसका मूल्य ₹ पांच करोड़ से अधिक है तो वह ऐसी सामग्री के क्रय मूल्य का चार प्रतिशत कर चुकाने हेतु दायित्वाधीन होगा।

धारा 10(ए)(2) आगे यह भी प्रावधानित करती है कि इस धारा के अधीन कोई कर नहीं लिया जायेगा यदि ऐसे पंजीकृत व्यवसायी से सामग्री क्रय की गई हो जिसके द्वारा इस धारा के अन्तर्गत कर भुगतान किया जाना है, एवं उस व्यवसायी द्वारा क्रय देयक में लिखित घोषणा की गई हो कि इस धारा के अंतर्गत वह कर भुगतान का उत्तरदायी है, तब कर का आरोपण नहीं होगा।

हमने सहायक आयुक्त, खण्डवा कार्यालय के 384 प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों एवं क्रय सूचियों आदि की अगस्त 2015 में नमूना जांच की और पाया कि फरवरी 2015 में अवधि 2012–13 के लिये निर्धारित एक व्यवसायी द्वारा ₹ 9.5 करोड़ मूल्य का गेहूँ क्रय किया गया था जिस पर क्रय कर वसूली योग्य था फिर भी निर्धारण अधिकारी ने उसे कर मुक्त मानकर क्रय कर का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप क्रय कर राशि ₹ 38.37 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (फरवरी 2015) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि व्यवसायी ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ क्रय किया था जो कि एक पंजीकृत व्यवसायी (टिन-23594000697) है जिस पर कर आरोपणीय नहीं था।

हम धारा 10(ए)(2) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी देयक में यह घोषणा नहीं पाई गई कि निगम की इस धारा के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी भारतीय खाद्य निगम है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (जुलाई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।